Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND
Website-www.pwd.uk.gov.in E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 269 /17व्यग–अधि0–उ0/2018 दिनांक–05/02/2019

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्र संख्या–01/17व्यग–अधि0–उ0/18 दिनांक–01.01.2019 द्वारा खण्डीय वरिष्ठ सहायकों की प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया था कि उक्त पत्र में उल्लेखित सूची में अंकित कार्मिकों (वरिष्ठ सहायक) में जिन वरिष्ठ सहायकों द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 19 के प्राविधानानुसार अर्हकारी सेवा (10 वर्ष) का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया है तो ऐसे कार्मिकों से यह बन्ध पत्र प्राप्त कर दिनांक–10.01.2019 तक उपलब्ध करायें कि ऐसा भाग पूरा होने तक की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा, जिस पर कतिपय कार्मिकों द्वारा वांछित बन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने पर अनुस्मरण कराते हुए इस कार्यालय के पत्र संख्या–79/17व्यग–अधि0 दिनांक–14.01.2019 द्वारा बन्ध पत्र सम्बन्धित खण्ड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दिनांक–16.01.2019 तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। अनुस्मरण कराये जाने के उपरान्त भी कतिपय कार्मिकों के बन्ध पत्र उपलब्ध न होने के कारण अन्तिम अनुस्मरण कराते हुए पुनः इस कार्यालय के पत्र संख्या–159/17व्यग–अधि0–उ0/18 दिनांक–22.01.2019 द्वारा वांछित बन्ध पत्र विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक–30.01.2019 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये तथा निर्धारित तिथि दिनांक–30.01.2019 तक वांछित बन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाने पर यह भी निर्देशित किया गया था कि बन्ध पत्र के अभाव में सम्बन्धित कार्मिकों की, चयन वर्ष 2018–2019 में वरिष्ठ सहायक के पद से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाएगा तथा इस सम्बन्ध में ऐसे कार्मिकों का पदोन्नति हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा।

इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक–01.01.2019, दिनांक–14.01.2019 एवं दिनांक–22.01.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के पश्चात भी निम्न कार्मिकों (वरिष्ठ सहायकों) के स्थानान्तरण अधिनियम–2017 की धारा 19 के प्रावधानों के अनुसार वांछित बन्ध पत्र निर्धारित तिथि दिनांक–30.01.2019 तक प्राप्त न होने के कारण ऐसे कार्मिकों की चयन वर्ष 2018–19 में वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति पर विचार न किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान खण्ड का नाम	गृह तहसील	सुगम एवं दुर्गम की सेवा	
				सुगम	दुर्गम
1	2	3	4	5	6
1	श्री विमल किशोर	प्रा0ख0 लैन्सडौन	पौड़ी	12 वर्ष 09 माह	06 माह
2	श्री विपिन चन्द्रदानी	नि0ख0 काशीपुर	रामनगर	12 वर्ष 01 माह	शून्य
3	श्री विपिन कुमार	नि0ख0 चम्बा	रूड़की	14वर्ष	06 माह
4	श्री सुरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	प्रा0ख0 नैनीताल	नैनीताल	07 वर्ष 04 माह	04 वर्ष 09 माह
5	श्री सन्नी कुमार	रा0मा0ख0 रूडकी	रूड़की	10 वर्ष 11 माह	शून्य
6	श्री मोहन सिंह जलाल	नि0ख0 काशीपुर	रामनगर	11 वर्ष 05 माह	शून्य
7	श्री घनश्याम सत्यवली	ए0डी0बी0ख0 बागेश्वर	सल्ट	07 वर्ष 01माह	04 वर्ष
8	श्रीमती रश्मि गुप्ता	नि0ख0 रूडकी	सहारनपुर	11 वर्ष 06 माह	शून्य
9	कु0 वन्दना	प्रा0ख0 देहरादून	सहारनपुर	09 वर्ष 01 माह	02 वर्ष 01 माह
10	श्री चन्दन सिंह	आपदा ख0 अल्मोडा	सोमेश्वर	11 वर्ष 01 माह	01 माह

आज्ञा से,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पत्र में उल्लेखित सन्दर्भित पत्रों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा0मा0/ए0डी0बी0, लो0नि0वि0 ....।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ... वां वृत्त, लो0नि0वि0 ....।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0/नि0/अ0/रा0मा0/ए0डी0बी0 खण्ड, लो0नि0वि0 ....।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून को इस ज्ञाप की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कार्मिक ....।

I.T uploaded 05.02.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

5.2.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
05/02/19